प्रेस विज्ञप्ति

04.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी (तत्कालीन डीआईजी जेल, भोपाल)** और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की 4.68 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उमेश कुमार गांधी के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान, विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल ने 5.13 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए उमेश कुमार गांधी, तत्कालीन डीआईजी जेल, भोपाल, अजय कुमार गांधी, तत्कालीन जेल प्रहरी, जिला जेल, सीहोर और श्रीमती अर्चना गांधी पत्नी उमेश कुमार गांधी के खिलाफ दो आरोप पत्र दायर किए, जिनमें से एक विशेष न्यायालय, पीसी अधिनियम में और दूसरा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की अदालत में दायर किया गया।

ईडी ने अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) की पहचान/पता लगाने के लिए पीएमएलए के तहत जांच की। जांच के दौरान, यह पता चला कि स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर बड़ी चल और अचल संपत्तियां अर्जित की थीं और पीओसी का उपयोग करके अर्जित 4.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की पहचान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियों के रूप में की गई हैं और अन्य चल संपत्तियां जैसे बैंक खातों में शेष राशि, आभूषण, बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र हैं जिन्हें ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।